[illegible]-33/एस0 एम0/13-14/97.

8/6
14/8/97

[3]

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 18 जुलाई, 1997/27 आषाढ़, 1919

हिमाचल प्रदेश सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30 अप्रैल, 1997

संख्या [illegible] पी०टी०बी० (2)-4/94 खण्ड-16.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद [illegible] द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग में दफतरी (वर्ग-IV [illegible] के लिए इस अधिसूचना [illegible] 'अ' [illegible] अनुसार भर्ती एवं प्रोन्नति नियम बनाते हैं, [illegible]:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग, [illegible] (वर्ग-IV अराजपत्रित) पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 19[illegible]7 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा,

सी० पी० सुजाया
वित्तायुक्त एवं सचिव.

उपाबन्ध "अ"

परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश में दफ्तरी (अराजपत्रित वर्ग-IV) के पद के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम	दफ्तरी
2. पदों की संख्या	1 (एक)
3. वर्गीकरण	वर्ग-IV (अराजपत्रित) अलिपिकीय वर्गीय सेवाएं
4. वेतनमान (विस्तृत रूप में अंकित करें)	रु0 800-30-950-35-1160-40-1320-45-1455 जमा रु0 40/- विशेष वेतन।
5. चयन पद अथवा अचयन पद	अचयन पद
6. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु।	लागू नहीं
7. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हतायें।	लागू नहीं
8. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं।	लागू नहीं
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।
10. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा
11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां जिनमें प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जायेगा।	वर्ग-IV कर्मचारियों (चपड़ासी, चौकीदार और स्वीपर) में से, जिनका ग्रेड में पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या (31-3-1991) तक की गई तदर्थ सेवा सहित संयुक्त नियमित सेवाकाल हो, प्रोन्नति द्वारा। प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए पात्र कर्मचारियों की सेवा के आधार पर उनकी काडर अनुसार पारस्परिक वरिष्ठता को छेड़े बिना संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी कि उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (31-3-1991 तक की गई तदर्थ सेवा को शामिल करके) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी

व्यक्ति विचार किए जाने में पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे

परन्तु उन सभी पदधारियों की जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाता है, कम से कम तीन वर्ष न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण.—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाईज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिन्हें एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो व इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व 31-3-1991 तक की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी ।

परन्तु 31-3-1991 तक तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना ।	जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जावे
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।	जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित हो
14. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा ।	लागू नहीं
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन	लागू नहीं

16. आरक्षण

सेवा में नियुक्ति, हिमाचल सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों/पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किये गये अनुदेशों के अधीन होगी।

17. शिथिल करने की शक्ति

जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह कारणों को अभिलिखित करके आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत शिथिल कर सकेगी।

[Authoritative English text of this Department notification No. TPT-B (2)-4/94-Vol-16, dated 30-4-1997 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 30th April, 1997

No. TPT-B (2)-4/94-Vol-16.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Daftri, Class-IV (Non-Gazetted) in the Department of Transport, Himachal Pradesh as per Annexure "A" attached to this notification, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(1) These Rules may be called the Himachal Pradesh Transport Department Daftri Class-IV (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 1997.

(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order,

C. P. SUJAYA,

Financial Commissioner-cum-Secretary.

ANNEXURE "A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF DAFTRI (NON-GAZETTED) CLASS-IV IN THE DEPARTMENT OF TRANSPORT, HIMACHAL PRADESH

1. Name of the post	Daftri
2. Number of posts	1 (One)
3. Classification	Class-IV (Non-Gazetted) Ministerial Services.
4. Scale of pay (Be given in expanded notation).	Rs. 800-30-950-35-1160-40-1320-45-1455+special pay of Rs. 40/- per month.

5. Whether selection post or non-selection post.	Non selection
6. Age for direct recruitment	Not applicable
7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruitments.	Not applicable
8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not applicable
9. Period of probation, if any	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons recorded in writing.
10. Method of recruitment—whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of vacancies to be filled in by various methods.	100% by promotion
11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grades from which promotion/deputation/transfer is to be made.	By promotion from amongst Class-IV employees (Peon, Chowkidar and Sweeper) who prossess 5 years regular service or regular combined with continuous *ad hoc* (rendered upto 31-3-1991) service in the grade, for the purpose of promotion combined seniority list of eligible officials on the basis of length of service without disturbing their cadre-wise *inter-se*-seniority shall be prescribed. (1) In all cases of promotion, the *ad hoc* service rendered in the feeder post upto 31-3-1991, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on *ad hoc* basis upto 31-3-1991) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration: Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or

134

that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less :

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be Ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be *Ex*-servicemen recruited under the provisions of Rule 3 of Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule 3 of *Ex*-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, *ad hoc* service rendered on the feeder post upto 31-3-1991, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service :

Provided that *inter-se*-seniority as a result of confirmation after taking into account, *ad hoc* service rendered upto 31-3-1991 shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	As may be constituted by the Government from time to time.
13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	As required under the Law
14. Essential requirement for a direct recruitment.	Not applicable
15. Selection for appointment to post by direct recruitment.	Not applicable

16. Reservation

The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Backward Classes/Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Power to relax

Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.